उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 650–पें0एवंआर0–28/पाकालि/15–108–पी/90, दिनांक : 27 जून, 2015

कार्यालय ज्ञाप

विषय : उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, एवं वितरण कम्पनियों के पेन्शनर्स/पारिवारिक पेन्शनरों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन पर दिनांक 01 जनवरी, 2015 से महंगाई राहत की लागू दरे।

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या : 23 पें0एवंआर0–28/पाकालि/2015–108–पी/90, दिनांक 02.01.2015, जिसके द्वारा पेन्शनरों/पारिवारिक पेन्शनरों को मंहगाई राहत दिनांक 01.07.2014 से 107% स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्य सरकार की अनुरूपता में दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेन्शन पर कारपोरेशन के समस्त पेन्शनर्स/पारिवारिक पेन्शनर्स को दिनांक 01 जनवरी, 2015 से मंहगाई राहत की 06% की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. पेन्शनरों/पारिवारिक पेन्शनरों को अनुमन्य मंहगाई राहत में दिनांक 01 जनवरी, 2015 से 06% की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेन्शन पर अनुमन्य मंहगाई राहत की वर्तमान 107 प्रतिशत की दर बढ़कर 113 प्रतिशत हो जायेगी।
2. मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपयें के रूप में लिया जायेगा।
3. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1054–डब्लू0सी0/राविप–औ0सं0–19–14(23) एफ–85 दिनांक 16.06.1988 में निर्गत आदेशानुसार पेन्शन पर अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उपमहाप्रबन्धक (लेखा)/उपमुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेन्शन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई राहत का भुगतान उपरोक्त 1 से 3 के अनुसार किया जायेगा।
4. मंहगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

अध्यक्ष

संख्या : 650–पें0एवंआर0–28/पाकालि/15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर/ट्रान्सकों, लखनऊ।

क्रमशः.....2

3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

4. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियाँ।

5. पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियों।

8. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

9. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेन्शन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

10. सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

11. अध्यक्ष, विद्युत पेन्शनर्स परिषद, 103–कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुईयन, 12–आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।

12. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यूपी0, पेन्शनर्स एसोसिएशन, 18–बी, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ।

13. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1–2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाल बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड, झांसी/पी0एन0बी0 हाउस, बिरहाना रोड, कानपुर/गुरूद्वारा रोड, इलाही काम्पलेक्स, निकट वेव सिनेमा, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी0एन0बी0, हाउस, राम गंगा बिहार फेस–II, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी, द माल, कैनोडी रोड, वाराणसी।

14. प्रबन्धक, (सी0पी0पी0सी0), सेन्ट्रलाइज्ड पेन्शन प्रोसेसिंग सेन्टर पंजाब नेशनल बैंक हलवासिया मार्केट, लखनऊ।

15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

16. कट फाईल।

आज्ञा से,

27/6/15

(उमेश गुप्त)
उपसचिव (पें0एवंआर0)